

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रचना/जोना-10/2014/डी-1556

दिनांक 18/6/14

आदेश :-

विकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन, पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि का कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में निम्नांकित योजनाएं नगर निगम, जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइविलिटोज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव(जैसी राडकों, नालियों, पार्को इत्यादि) के लिये हस्तान्तरित की जाती हैं:-

क्र.सं.	सेक्टर सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम
1	34	लुनियावास	जगदीशपुरी
2	34	डी फॉरेस्ट व्यू	गुरु कालोनी
3	34	इसनपुरा ए	रामकुटीर
4	34	इथरोई गढी	बाल विहार कालोनी-ई
5	34	पहाडंगज	शंकर विहार
6	34	शान्ति नगर	लक्ष्मी नगर
7	34	शान्ति नगर	लक्ष्मी नगर ए
8	34	शान्ति नगर	लक्ष्मी नगर बी
9	34	शान्ति नगर	गणेश विहार
10	34	लक्ष्मी नगर	गंगाधर विहार
11	34	लक्ष्मी नगर	करीम नगर
12	34	लक्ष्मी नगर	हेल व्यू एन्क्लेव
13	34	इथरोई गढी	जगदीश कालोनी

उपर्युक्त विधित योजनाओं की शहरी जमाव-दही नगर निगम, जयपुर दसूल करेगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृत नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

(पवन अरोड़ा)
सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय विधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुनर्वास), जयपुर, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उप:/जोन- 10/2014/डी- 1410

दिनांक 5/6/14

- आदेश :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुगंदन, पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम, जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का वरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में निम्नांकित योजनाएं नगर निगम, जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव(जैसे सड़कों, नालियों, पार्को इत्यादि) के लिये हस्तान्तरित की जाती है:-

क्र.सं.	सैक्टर सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम
1	34	अम्बेश्वर	गणेश विहार-बी
2	34	अम्बेश्वर	गणेश विहार सी
3	34	विकास भवन	गुरुधाम
4	34	लक्ष्मी नगर	हारकापुरी 52
5	34	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार
6	34	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार विस्तार
7	34	लाला लाजपत राय	बजरंग विहार 2
8	34	लक्ष्मी	गांधी विहार मैन
9	34	हथरोई गढी	बाग नाहरसिंह कालानी सी
10	34	दी फोरेस्ट व्यू	बाग नाहरसिंह कालानी

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमाबन्दी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण को स्वीकृत नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त/प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/सुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर